भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 84

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट

84. डा. दिनेश शर्माः

श्रीमती किरण चौधरीः

श्री बृज लालः

श्रीमती रेखा शर्माः

श्री मदन राठौड़:

श्री नरहरी अमीनः

श्रीमती दर्शना सिंहः

श्रीमती माया नारोलियाः

श्री बाबू राम निषादः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट में किन्हीं उभरते प्रदूषकों/संदूषकों की पहचान की गई है जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भूजल प्रदूषण को कम करने में सरकारी पहलों ने कितनी प्रभावशीलता दिखाई है;

(घ) क्या भूजल गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर में फैले 15,259 निगरानी स्थलों से भूजल के नमूनों और विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पीने और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में विद्युत चालकता (ईसी), फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं, नाइट्रेट आदि जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करना है। रिपोर्ट में उपरोक्त प्रदूषकों की उपस्थिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर मानव उपयोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक पाई गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट में किसी नए प्रदूषक की पहचान नहीं की गई है।

(ग): जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के लिए पहल सहित भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से तकनीकी समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

तथापि, केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं सीजीडब्ल्यूबी के साथ वार्षिक पुस्तिकाओं, अर्ध-वार्षिक बुलेटिन और पाक्षिक चेतावनियों द्वारा मौजूद भूजल गुणवत्ता डेटा को नियमित रूप से साझा करना; भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अध्ययन करना; प्रभावित क्षेत्रों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नवीनतम सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्सेनिक सुरक्षित कुएं का निर्माण करना; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उद्योग विशिष्ट निर्वहन मानक स्थापित कर व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करना, उद्योगों के लिए बहि:स्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) को अनिवार्य करना, निर्वहन की ऑनलाइन निरंतर निगरानी आदि।

इसके अलावा, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को लागू कर रही है, ताकि देश के हर ग्रामीण घर में पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को नल के पानी की वितरण सेवा की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानदंड के रूप में अपनाया गया है।

इन सभी संचित प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचित किया गया है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2025 के बीच देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या घट कर क्रमशः 14,020 से 314 और 7,996 से 254 हो गई है। इन शेष बस्तियों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडबल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी प्रदान किया गया है।

(घ) और (ङ): केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तव में जन आंदोलन में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं:

i. भारत सरकार अटल भूजल योजना को लागू कर रही है, जिसका मुख्य विषय समुदाय द्वारा संचालित भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन और मांग प्रबंधन है।
ii. केंद्रीय भूजल बोर्ड स्थानीय भूजल मुद्दों को लेकर विभिन्न पब्लिक इंटरैक्शन कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर II और टियर III कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करने और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल है।
iii. जेजेएम के तहत, समुदाय को शामिल करने और जल गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढाने के उद्देश्य से, प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं को चुना जाता है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) द्वारा जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

iv. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) को सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ लागू कर रही है। अभियान के तहत देश के विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं ताकि स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की जा सके और जल से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया जा सके।

v. जल शक्ति अभियान, जल संचय जन भागीदारी की गति को और मजबूत करने के लिए: भारत में जल की स्थिति में स्थिरता लाने के लिए सूरत, गुजरात में दिनांक 6 सितंबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक सामुदाय-प्रेरित मार्ग का शुभारंभ किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पानी की हर एक बूँद को सामूहिक प्रयासों से संरक्षित किया जाए जिसमे समाज और सरकार-दोनों के समग्र दृष्टिकोण सम्मिलित हैं।

vi. इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश की जनता में जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार करने के लिए बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम करते हैं। मंत्रालय द्वारा ज़मीनी स्तर पर जुडे हुए कई गैर सरकारी संगठनों के साथ भी कई समझौते किए गए है।

*****